

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

एस.ए.आर. वाद सं०-०२/२०१७-१८

मालती पाड़ेया बनाम शुरु तापे

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश

अभियुक्ति

15-2-2018

यह अभिलेख आवेदिका मालती पाड़ेया पति रंजन पाड़ेया, ग्राम-पहाड़पुर, पो०-पठानमारा, थाना-सरायकेला जिला-सरायकेला-खरसावाँ के आवेदन पर छोटानागपुर अधिसूचित क्षेत्र 1971 सी०एन०टी० संशोधित अधिनियम 1971 के अधीन भूमि वापसी हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में खुला है। आवेदिका के प्रथम पक्ष एवं विपक्षी शुरु तापे पति दुलुराम तापे, निवासी ग्राम+पो०-पठानमारा, थाना-सरायकेला को द्वितीय पक्ष संबोधित करते हुए आवेदन सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया।

भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा
सरायकेला	301	183	490/अंदर	0.06 ए०
वार्ड नं०-1				

विपक्षियों को कारणपृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी से प्राप्त आवेदन का जाँच प्रतिवेदन की मांग किया गया।

प्रथम पक्ष के लिखित कथनानुसार आवेदिका अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। वापस की जाने वाले भूमि मौजा सरायकेला रेभन्यू थाना नं०-301, हल्का सं०-7, खाता नं०-183, खेसरा नं०-490/अंदर दोन-3 रकवा 11 डी० में से 6डी० जमीन पर द्वितीय पक्ष शुरु तापे पति दुलुराम तापे जाति-अनुसूचित जनजाति, ग्राम+पोस्ट-पठानमारा, थाना-सरायकेला, वर्तमान पता-ग्राम-हँसाउड़ी(कोड़ासाई) वार्ड नं०-1, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ द्वारा अवैध रूप से पक्का ईटा सिमेंट बालु से बना 11 फीट ऊँचा 50 मीटर लम्बा दिवाल बनाकर दखल किया गया है।

द्वितीय पक्ष के लिखित कथनानुसार उन्होंने आवेदित प्लॉट से आंशिक भाग रकवा 11डी० गौरांगो पति से क्रय कर प्रतिवर्ष लगान जमा कर रहा है। वर्ष 2016 में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सरायकेला से विवाद सुलझाने हेतु नापी कराया गया था जिसमें प्रथम पक्ष उपस्थित नहीं हुई थी एवं उनका कहना है कि स्थल का नापी कर विवाद सुलझाने हेतु आज भी सहमत है।

अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 78 दिनांक 15.01.2018 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त का अवलोकन किया गया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत् भूमि मौजा सरायकेला वार्ड नं०-1, थाना नं०-301, खाता नं०-183, खेसरा नं०-488, 490 एवं 478 रकवा क्रमशः 0.20, 0.74 एवं 0.07 एकड़ कुल 1.01 एकड़ भूमि खतियान में


मंगला चरण महान्ती पिता कमल लोचन महान्ती के नाम से दर्ज है। उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति एवं आपस में रिश्तेदार है एवं दोनों गौरांग चरण पति पिता अमूल्य रतन पति से खाता नं०-183, खेसरा नं०-490 से ग्यारह-ग्यारह डीसमिल जमीन क्रय किये है। उभय पक्ष अपने-अपने आंशिक भाग पर मकान बना कर रहते है। भूखण्ड का कुछ भाग खाली है जिसमें बाउन्डी बना हुआ है। अंचल अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह मामला एस.ए.आर. का प्रतीत नहीं होता है एवं भूखण्ड के सीमा का विवाद प्रतीत होता है।


उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्राप्त आवेदन विपक्षी का कथन एवं अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है एवं दोनों आपस में रिश्तेदार है। यह मामला आवेदित भूखण्ड का सीमा का विवाद प्रतीत होता है।

अतः प्रथम पक्ष को आदेश दिया जाता है कि सीमांकन शुल्क अंचल में जमा कर लें। अंचल अधिकारी, सरायकेला आवेदित भूमि का विधिवत सीमांकन कर उभय पक्षों को सीमा का ज्ञात करवाकर पत्थलगाड़ी कर दें ताकि भविष्य में कभी विवाद नहीं हो।

अंचल अधिकारी, सरायकेला को आदेश की छायाप्रति दें। एक माह के अंदर सीमांकन का प्रतिवेदन न्यायालय को उपलब्ध करें।

लेखापित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।